आवश्यक
पंचायत उप निर्वाचन, 2025

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - पं.नि. 30-241/2021 - 2748

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार।
प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 17.6.25

विषय : पंचायत के विभिन्न रिक्त पदों पर उप-निर्वाचन, 2025 : मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश घोषित करने के संबंध में।

प्रसंग : पंचायती राज विभाग, बिहार का अधिसूचना संख्या 7263 दिनांक 09.06.2025 संसूचित आयोग का पत्रांक 2606 दिनांक 09.06.2025 (पत्र संलग्न)

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक अधिसूचना द्वारा पंचायत के विभिन्न रिक्त पदों पर उप-निर्वाचन, 2025 के निमित्त अधिसूचना निर्गत किया गया है। जिसे आयोग के प्रासंगिक पत्रांक 2606 दिनाक 09.06.2025 द्वारा उप निर्वाचन कराये जाने का आदेश जिलों को दिया गया है। जिसके अनुसार **दिनांक 09.07.2025 को मतदान** कराया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 131 में मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित किये जाने का प्रावधान किये गये हैं, जो निम्नवत् हैं :-

> "131. मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की मंजूरी ––(1) किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और राज्य की पंचायतों के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जायेगा।
>
> (2) उप धारा (1) के अनुसार प्रदान किये गये अवकाश के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी में कोई भी कमी या कटौती नहीं की जायेगी और यदि वह व्यक्ति इस आधार पर नियोजित है कि वह ऐसे दिन के लिए मजदूरी साधारणतया प्राप्त नहीं करेगा, फिर भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार से वह अवकाश प्रदान नहीं किये जाने पर प्राप्त करता।
>
> (3) यदि कोई नियोक्ता खंड (1) या खंड (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा नियोक्ता, पॉच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।
>
> (4) यह धारा उस किसी ऐसे निर्वाचक पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति उस नियोजन की बावत खतरा या सारभूत हानि पहुँचा सकती हो, जिसमें वह कार्यरत हो।"

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा मतदान के दिन ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के केवल रिक्त पदों वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जहाँ मतदान होना है, से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सवैतनिक अवकाश घोषित करना आवश्यक समझा गया है। जिससे कि राज्य के पंचायतों के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अपना मत देने हेतु अवकाश प्रदान किया जा सके।

4. अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निदेश अपने स्तर से शीघ्र निर्गत करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक : आयोग का पत्रांक 2606 दिनांक 09.06.2025

विश्वासभाजन,

17/6/25

सचिव।

ज्ञापांक -पं.नि. 30-241/2021 - 2748 *पटना, दिनांक -* 17.6.25

प्रतिलिपि, सभी जिला दंडाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/6/25

सचिव।

ज्ञापांक -पं.नि. 30-241/2021 - 2748 *पटना, दिनांक -* 17.6.25

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/6/25

सचिव।

ज्ञापांक -पं.नि. 30-241/2021 - 2748 *पटना, दिनांक -* 17.6.25

प्रतिलिपि, सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/6/25

सचिव।